

I/145634/2023

प्रेषक,

डा० आर० राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-06

109/XXVIII(6)23

देहरादून: 10 अगस्त, 2023

विषय: उत्तराखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल संस्थानों में सीट वृद्धि एवं नये पाठ्यक्रम संचारित करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागाध्यक्ष/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में संख्या:- 321/XXVIII(6)-2022-01(पैरा)/2022 दिनांक 29जुलाई,2022 में गठित समिति की बैठक दिनांक 15.06.2023 में प्राप्त संस्तुतियों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दून इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, शंकरपुर, सहसपुर, विकासनगर, देहरादून को बी०एससी० इन ऑप्टोमेट्री-30 सीट, बी०ओ०टी०टी०-30 सीट, एम०पी०टी० (ऑर्थो-10), एम०पी०टी० (न्यूरो-10), एम०पी०टी० (स्पोर्ट्स-10), एम०एससी० लेब टेक्नोलॉजी-15 एण्ड एम०पी०टी० कार्डियोपल्मोनरी-10(समस्त नवीन पाठ्यक्रम) सीट के साथ प्रारम्भ किये जाने की अनापत्ति शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एतद्वारा समयक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आदेश निर्गत होने की तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र पैरामेडिकल संस्थान के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद से मान्यता लेने की समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के समय यदि संस्थान में कतिपय/आंशिक कमियां पायी गयी हैं, तो शासनादेश संख्या 576/XXVIII(1)2015-16(पैरा०)/2014 दिनांक 13 अगस्त, 2015 द्वारा निर्धारित मानकों के आलोक में कमियों को पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात ही उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद एवं हे०न०ग० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति/मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाए।

2. संस्थानों का जिन पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रदान की जा रही है, यदि संस्थान के द्वारा उन पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिये जाने हेतु शासन स्तर से पुनः अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।

3. पैरामेडिकल संस्थान द्वारा बिना पाठ्यक्रमों के संचालन की अनापत्ति प्राप्त किये एवं बिना विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये छात्र/छात्राओं को पूर्व प्रवेश दिया जाना असंवैधानिक है। ऐसे संस्थानों पर नियामानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

I/145634/2023

4. राज्य सरकार शैक्षणिक सत्र के दौरान कभी भी, जैसा कि यथासमय उचित समझे पैरामेडिकल संस्थान का निरीक्षण करायेगी। यदि निरीक्षण में कमियां पायी जाती है, तो संस्तुति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर विचार करेगी।
5. जिस संस्थान के पास स्वयं का चिकित्सालय है, अपने द्वारा संचारित संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी संस्थान को क्लीनिकल मैटिरियल, अपने टीचिंग चिकित्सालयों की शैय्याये आदि की सम्बद्धता नहीं देंगे, जिससे कि इस संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राओं को समुचित प्रैक्टिकल करने की सुविधा मिले तथा व्यवसायिक वातावरण बना रहे।
6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश एवं पूर्व निर्धारित नियमों का पालन किये जाने की बाध्यता होगी।
7. संस्थान उतनी ही सीटों पर प्रवेश दे सकेंगे जितनी सीटों के संचालन की अनापत्ति प्रदान की जा रही है।
8. यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो शासन द्वारा निर्गत अनापत्ति को निरस्त कर संबंधितों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
9. अनापत्ति विस्तारीकरण की कार्यवाही यथासमय नियमतः पूर्ण कर ली जाए।
10. जिन संस्थानों के पास स्वयं का भवन/चिकित्सालय नहीं है, उन्हें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से दो साल के अन्दर स्वयं का भवन/चिकित्सालय अनिवार्य रूप से बनाना होगा।
11. उक्त शर्तों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by R. Rajesh Kumar**Date: 10-08-2023 17:03:41**

(डा० आर० राजेश कुमार)

सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - निजी सचिव, मा० मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. - निजी सचिव, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. - निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. - कुल सचिव, हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. - रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद, देहरादून।

I/145634/2023

6. - रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी, देहरादून।
7. - रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड स्टेट डेन्टिस्ट ट्रिब्यूनल, देहरादून।
8. - प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, संबंधित संस्थान।
9. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Richa

Date: 10-08-2023 17:40:28

(ऋचा)

अनु सचिव।

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद

कार्यालय-म0सं0-01, लेन नं0-06, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड़, देहरादून-248121

फोन सं0 0135-2975030

uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

पत्रांक:-र-20/उ0परा0चि0प0/56/2018/18934

दिनांक 31 अगस्त, 2023

सेवा मे

प्राचार्य/प्रधानाचार्य,

दून इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, शकरपुर,

सहसपुर देहरादून।

विषय- उत्तराखण्ड राज्य में परा-चिकित्सकीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2009 की धारा 20 एवं उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के 17 भाग-ग के उपविनियम 06 पैरा 08 (आठ) के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित निजी/सरकारी पैरा-मेडिकल विश्वविद्यालय/संस्थान में परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद कार्यालय के पत्रांक-र-20/उ0परा0चि0प0/56/2018/18124 दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के क्रम में दिनांक 28.04.2023 को दून इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, शकरपुर सहसपुर देहरादून संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2022-23 का निरीक्षण दल द्वारा स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।


2- चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या-186/XXVIII(2)/18-13(पैरा0)/2016, दिनांक-17 मार्च, 2018 के द्वारा संस्थान को निम्नलिखित परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ अनापत्ति/अनुमति प्रदान की गई है:-

क्र0सं0	संस्थान का नाम	स्वीकृत पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीटों की संख्या
01.	दून इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, शकरपुर सहसपुर देहरादून	बी0एम0एल0टी0	20
		बी0एम0आर0आई0टी0	30
		बी0पी0टी0	20

3- उपरोक्तानुसार संस्थान द्वारा उक्त 03 पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालनार्थ मान्यता हेतु परिषद कार्यालय में किये गये आवेदन के क्रम में निरीक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेज, शपथ पत्र एवं दी गई संस्तुति के आधार पर संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को उक्त परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

4- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के विनियम 17(6)(आठ) के अन्तर्गत शिक्षण सत्र चलाने से पूर्व राज्य सरकार से अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है, एवं संस्थान को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पत्र मिलने पर सम्बद्धता पत्र परिषद कार्यालय मे जमा कराना होगा सम्बद्धता पत्र जमा न कराये जाने की स्थिति में संस्थान को शैक्षिक सत्र 2022-23 में दिया जा रहा मान्यता पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा, संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संस्थान का स्थलीय औचक निरीक्षण किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थायें पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,



(डॉ० राजन अरोड़ा)

सचिव/रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद।